International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 02(II), April- June, 2026, pp. 201-206

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्वः एक ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक विश्लेषण

शिवांगी सैनी[1*] | प्रोफेसर डॉ. मनमीत कौर[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली।
[2]विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली।

[*]Corresponding Author: sainishivangi121@gmail.com

Citation: सैनी, शिवांगी एवं कौर, मनमीत (2026). महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्वः एक ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक विश्लेषण. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(02(II)), 201–206. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.2(II).9135

सार

भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण लागू होने के पश्चात महिलाओं की संख्यात्मक राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विशेष रूप से73वाँ संविधान संशोधन अधिनियमतथा74वाँ संविधान संशोधन अधिनियमने सत्ता–संरचना में लैंगिक समावेशन को संस्थागत आधार प्रदान किया। तथापि, इस विस्तार के साथ "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" की प्रवृत्ति उभरती दिखाई देती है, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की औपचारिक वैधता और वास्तविक निर्णयकारी अधिकार के बीच अंतर पाया जाता है। यह अध्ययन इस प्रश्न की सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक जांच करता है कि प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था की उपज है या भारतीय सामाजिक संरचना में निहित पितृसत्तात्मक परंपराओं की निरंतरता का एक नया रूप। प्राचीन भारतीय संदर्भ में राजनीतिक सत्ता–संरचना, प्रतिनिधित्व की प्रकृति तथा लैंगिक शक्ति–संबंधों का विश्लेषण करते हुए यह परीक्षण किया जाता है कि आधुनिक अर्थों में प्रतिनिधिक लोकतंत्र के अभाव ने प्रॉक्सी जैसी संस्थागत समस्या को किस प्रकार प्रभावित किया।साथ ही,कुछ लोकतान्त्रिक देशों कातुलनात्मक विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि महिला प्रतिनिधित्व को मात्र आरक्षण से आगे बढ़ाकर संस्थागत स्वायत्तता में कैसे रूपांतरित किया जाता है।यह अध्ययन ऐतिहासिक, संरचनात्मक तथा तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की अवधारणा, उसके उद्भव तथा लोकतांत्रिक वैधता पर उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करता है।

शब्दकोशः *महिला प्रतिनिधित्व, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, आरक्षण नीति, पितृसत्ता, लोकतांत्रिक सहभागिता।*

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था की सार्थकता केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि सत्ता–संरचना में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी कितनी समावेशी और प्रभावी है। इसी संदर्भ में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता आधुनिक लोकतंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में उभरी है। भारत जैसे बहुलतावादी और सामाजिक रूप से विविध समाज में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल अधिकार का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक वैधता और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है।

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, विशेषतः73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, ने राजनीतिक क्षेत्र में एक संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत की। इन प्रावधानों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ–साथ लैंगिक समावेशन को संस्थागत रूप प्रदान किया। परिणामस्वरूप लाखों महिलाएँ पंचायतों और नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सामने आईं। यह परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।

हालाँकि, संख्यात्मक वृद्धि के साथ–साथ एक जटिल सामाजिक–राजनीतिक प्रवृत्ति भी उभरकर सामने आई, जिसे सामान्यतः "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" कहा जाता है। इसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि औपचारिक रूप से पद धारण करती है, किंतु निर्णय–निर्माण और प्रशासनिक नियंत्रण व्यवहारतः पुरुष परिजनों द्वारा संचालित होता है। यह स्थिति प्रतिनिधित्व की अवधारणा, लोकतांत्रिक स्वायत्तता तथा लैंगिक समानता के सिद्धांतों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।

यह समस्या केवल प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की ऐतिहासिक पितृसत्तात्मक संरचना, लैंगिक शक्ति–संबंधों और सामाजिक वैधता की जड़ों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है,क्योंकिभारतीय सामाजिक व्यवस्था में सत्ता, निर्णय–निर्माण और संसाधनों पर नियंत्रण परंपरागत रूप से पुरुषों के हाथों में केंद्रित रहा है। परिवार से लेकर सामुदायिक संस्थाओं तक नेतृत्व की भूमिका पुरुष–सत्ता के साथ वैधता प्राप्त करती रही है, जबकि महिलाओं की भूमिका प्रायः निजी या घरेलू क्षेत्र तक सीमित मानी गई।इस ऐतिहासिक विभाजन ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच एक लैंगिक रेखा स्थापित की, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक निर्णय–निर्माण को "पुरुष–क्षेत्र" के रूप में सामाजिक मान्यता मिली। जब आरक्षण के माध्यम से महिलाएँ औपचारिक रूप से सत्ता–संरचना में प्रवेश करती हैं, तब भी सामाजिक मानसिकता और पारिवारिक शक्ति–संतुलन तुरंत परिवर्तित नहीं होते। ऐसी स्थिति में निर्वाचित पद पर महिला की उपस्थिति तो वैधानिक होती है, किंतु निर्णयकारी अधिकार का अनौपचारिक संचालन पारंपरिक शक्ति–धारकोंकृअर्थात पुरुष परिजनोंकृ द्वारा किया जाता है।

अतः प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को समझने के लिए केवल संस्थागत ढाँचे का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है; इसके पीछे कार्यरत सामाजिक वैधता, सांस्कृतिक मानदंड और ऐतिहासिक शक्ति–संबंधों की निरंतरता को भी सम्यक् रूप से समझना आवश्यक है।इसी कारण यह आवश्यक हो जाता है कि प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को केवल समकालीन राजनीतिक विकृति के रूप में न देखकर, उसके ऐतिहासिक, सामाजिक और संरचनात्मक आयामों का विश्लेषण किया जाए।

प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुआयामी रही हैकृकहीं बौद्धिक और धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी, तो कहीं राजनीतिक सत्ता से दूरी। आधुनिक प्रतिनिधिक लोकतंत्र के अभाव में उस काल की सत्ता–संरचनाएँ भिन्न प्रकार से कार्य करती थीं। ऐसे में यह प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है कि क्या वर्तमान प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की प्रवृत्ति ऐतिहासिक पितृसत्ता की निरंतरता है, या यह लोकतांत्रिक संस्थाओं और पारंपरिक सामाजिक ढाँचों के अंतर्संघर्ष से उत्पन्न नई परिस्थिति है।तुलनात्मक दृष्टि से, समकालीन लोकतांत्रिक देशों जैसेरवांडा, स्वीडन और नेपाल ने महिला प्रतिनिधित्व को केवल संख्यात्मक उपस्थिति तक सीमित न रखकर संस्थागत सशक्तिकरण, प्रशिक्षण और लैंगिक समानता उन्मुख नीतियों के माध्यम से सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इन अनुभवों का अध्ययन भारतीय संदर्भ में संभावित नीतिगत दिशा को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की अवधारणाः सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

राजनीतिक सिद्धांत में "प्रतिनिधित्व" (Representation) का अर्थ केवल निर्वाचित पद धारण करना नहीं, बल्कि नीति–निर्माण और निर्णय–प्रक्रिया में वास्तविक प्रभाव स्थापित करना भी है। जब निर्वाचित प्रतिनिधि औपचारिक रूप से सत्ता में हो, किंतु वास्तविक निर्णय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिए जाएँ, तब यह स्थिति प्रतिनिधिक लोकतंत्र की मूल भावना को चुनौती देती है।

प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व उसी परिस्थिति को सूचित करता है जिसमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि की संवैधानिक वैधता तो स्वीकार की जाती है, परंतु व्यवहारिक नियंत्रण पुरुष परिजनों के हाथों में केंद्रित रहता है। यह घटना सत्ता–संरचना और सामाजिक शक्ति–संतुलन के बीच के अंतर्विरोध को प्रकट करती है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : प्राचीन भारत में स्थिति

भारतीय समाज की राजनीतिक संरचना का विकास क्रम यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं की स्थिति समय के साथ परिवर्तित तो हुई, परंतु सत्ता–संबंधों की पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रही। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को बौद्धिक एवं धार्मिक विमर्श में सहभागिता का अवसर प्राप्त था; गार्गी वाचक्नवीऔरमैत्रेयीजैसी विदुषियों का उल्लेख इसका प्रमाण है। फिर भी राज्यसत्ता, प्रशासन और सैन्य नेतृत्व जैसे औपचारिक राजनीतिक क्षेत्र मुख्यतः पुरुषों के नियंत्रण में रहे। उत्तरवैदिक काल में सामाजिक स्तरीकरण और पितृसत्ता अधिक सुदृढ़ हुई, जिससे महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका सीमित होती गई।

मौर्य और गुप्त काल में केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचनाएँ विकसित हुईं, किंतु उनमें महिलाओं की औपचारिक भागीदारी अत्यल्प रही। मध्यकालीन भारत में भी सत्ता राजवंशीय और सामंती ढाँचे पर आधारित थी। यद्यपिरज़िया सुल्तानयानूरजहाँजैसी कुछ अपवादस्वरूप महिलाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावशाली रहीं, परंतु यह सहभागिता संस्थागत रूप से स्थापित नहीं थी। सत्ता का स्वरूप वंशानुगत था, न कि प्रतिनिधिक; इसलिए निर्वाचित पदों पर औपचारिक उपस्थिति और अनौपचारिक नियंत्रण के बीच विरोधाभास जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी।

औपनिवेशिक काल में प्रतिनिधिक संस्थाओं की प्रारंभिक नींव पड़ी और महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश बढ़ा।सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट जैसी नेताओं ने राजनीतिक नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान ने समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए और बाद में73वाँ संविधान संशोधन अधिनियमतथा74वाँ संविधान संशोधन अधिनियमके माध्यम से स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी को संरचनात्मक आधार मिला।

इसी ऐतिहासिक क्रम में यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में महिलाओं की राजनीतिक अनुपस्थिति अधिक प्रत्यक्ष थी, जबकि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी औपचारिक उपस्थिति सुनिश्चित होने के बावजूद सामाजिक और पारिवारिक सत्ता–संरचनाएँ पुरुष–प्रधान बनी रहीं। परिणामस्वरूप संवैधानिक अधिकार और सामाजिक वैधता के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिसे समकालीन संदर्भ में "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" के रूप में देखा जा सकता है। अतः यह समस्या पूर्णतः नवीन नहीं, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि पितृसत्तात्मक ऐतिहासिक संरचना में निहित है; परंतु इसका वर्तमान स्वरूप आधुनिक प्रतिनिधिक लोकतंत्र और पारंपरिक शक्ति–संबंधों के अंतर्संबंध से निर्मित हुआ है।

यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि उस काल में चुनाव–आधारित प्रतिनिधिक संस्थाएँ विकसित नहीं थीं। अतः निर्वाचित महिला पदाधिकारी के स्थान पर पुरुष द्वारा सत्ता–प्रयोग की समस्या उस रूप में उत्पन्न नहीं होती थी, जिसे आज "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" कहा जाता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि पितृसत्ता ऐतिहासिक रूप से विद्यमान थी, किंतु प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व एक विशिष्ट आधुनिक लोकतांत्रिक संदर्भ में विकसित अवधारणा है।

आधुनिक भारत में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का उद्भव

आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक संरचना ने महिलाओं को संवैधानिक रूप से समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं को राजनीतिक नागरिकता का दर्जा दिया, किंतु वास्तविक राजनीतिक सहभागिता लंबे समय तक सीमित रही। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत आधार73वाँ संविधान संशोधन अधिनियमतथा74वाँ संविधान संशोधन अधिनियमके माध्यम से प्राप्त हुआ। इन संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों महिलाएँ पहली बार औपचारिक राजनीतिक पदों पर निर्वाचित हुईं।

यह परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र में एक संरचनात्मक क्रांति के समान था, क्योंकि इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और राजनीतिक प्रक्रिया में लैंगिक समावेशन को संवैधानिक मान्यता मिली। किंतु इसी प्रक्रिया के भीतर एक अंतर्विरोध भी उभरा। अनेक क्षेत्रों में यह देखा गया कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि औपचारिक रूप से पद धारण करती हैं, परंतु बैठकों में उनकी उपस्थिति प्रतीकात्मक होती है और निर्णय–निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया पति या अन्य पुरुष परिजन द्वारा संचालित की जाती है। यह प्रवृत्ति सामान्यतः "सरपंच पति" जैसी संज्ञाओं में व्यक्त की जाती है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रकृति पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

इस समस्या को समझने के लिए केवल प्रशासनिक अक्षमता या व्यक्तिगत अनुभव की कमी को कारण मान लेना पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं की जटिल भूमिका है। भारतीय समाज में सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण ऐतिहासिक रूप से पुरुषों के हाथों में केंद्रित रहा है। भूमि स्वामित्व, आर्थिक साधनों और सामाजिक प्रतिष्ठा की संरचना प्रायः पुरुष–प्रधान रही है। जब आरक्षण के माध्यम से महिलाएँ औपचारिक रूप से सत्ता–संरचना में प्रवेश करती हैं, तब सामाजिक शक्ति–संतुलन तत्काल परिवर्तित नहीं होता। परिणामस्वरूप एक द्वैध स्थिति उत्पन्न होती हैकृवैधानिक अधिकार महिला के पास, किंतु अनौपचारिक नियंत्रण पुरुष के पास।

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक समाजीकरण (Political Socialization) की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। पुरुषों को परंपरागत रूप से सार्वजनिक नेतृत्व और निर्णय–निर्माण के लिए तैयार किया जाता रहा है, जबकि महिलाओं का समाजीकरण घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहा। जब अचानक उन्हें निर्वाचित पद प्राप्त होता है, तो प्रशासनिक भाषा, प्रक्रियाओं और राजनीतिक नेटवर्क तक उनकी पहुँच सीमित हो सकती है। यह अंतर कई बार निर्भरता की स्थिति को जन्म देता है, जिसका लाभ पारिवारिक या स्थानीय शक्ति–समूह उठाते हैं।

आर्थिक निर्भरता भी एक निर्णायक कारक है। जिन क्षेत्रों में महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, वहाँ उनके लिए स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। सामाजिक दबाव, प्रतिष्ठा की अवधारणाएँ और पारिवारिक नियंत्रण की संरचना मिलकर ऐसी परिस्थिति निर्मित करती हैं, जहाँ औपचारिक प्रतिनिधित्व और वास्तविक स्वायत्तता के बीच दूरी बनी रहती है।

कई क्षेत्रों में निम्न प्रवृत्तियाँ देखी गईं–

- बैठकों में पति की उपस्थिति और हस्तक्षेप
- दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर तो महिला के, निर्णय पुरुष के
- सामाजिक दबाव के कारण स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अभाव
- आर्थिक निर्भरता और प्रशासनिक प्रशिक्षण की कमी

यह स्थिति दर्शाती है कि विधिक सुधार सामाजिक मानसिकता से आगे निकल गया। राजनीतिक सत्ता की वैधानिक संरचना में परिवर्तन हुआ, किंतु सामाजिक शक्ति–संतुलन में अपेक्षित परिवर्तन उतनी तीव्रता से नहीं हुआ। इस प्रकार आधुनिक भारत में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का उद्भव केवल आरक्षण नीति की अनपेक्षित परिणति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और पारंपरिक पितृसत्तात्मक सामाजिक ढाँचे के अंतर्संबंध का परिणाम है। यहाँ समस्या यह नहीं कि महिलाएँ निर्वाचित नहीं हो रहीं; समस्या यह है कि निर्वाचित होने के बाद भी सत्ता–संरचना में उनकी स्वायत्तता कितनी प्रभावी है। यही वह शोध–समस्या है, जो आधुनिक भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और वैधता को समझने के लिए केंद्रीय महत्व रखती है।

आधुनिक भारत में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की समस्या केवल सामाजिक पितृसत्ता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संस्थागत, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों के जटिल अंतर्संबंध से उत्पन्न होती है। संख्यात्मक आरक्षण ने महिलाओं को औपचारिक रूप से सत्ता–संरचना में प्रवेश दिया, लेकिन वास्तविक निर्णय–निर्माण की स्वतंत्रता विभिन्न कारणों से बाधित रहती है। इसमें प्रमुख कारक हैंः

- सामाजिक वैधता और पारिवारिक शक्ति–संतुलन – परिवार और समुदाय में नेतृत्व की पारंपरिक वैधता पुरुषों के पक्ष में बनी रहती है, जिससे निर्णयों में महिला प्रतिनिधि का स्वायत्त योगदान सीमित रह जाता है।
- आर्थिक निर्भरता – कई क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता कम होने के कारण उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो प्रॉक्सी नियंत्रण को मजबूती देता है।
- राजनीतिक समाजीकरण और नेटवर्क – राजनीतिक प्रशिक्षण, अनुभव और नेटवर्क तक पहुँच में कमी महिला प्रतिनिधियों को प्रभावी निर्णय लेने में बाधित करती है।

इस परिप्रेक्ष्य में, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को केवल "व्यक्तिगत अक्षमता" के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह एकसंरचनात्मक समस्याहै, जो ऐतिहासिक पितृसत्ता, आधुनिक संस्थागत ढाँचे और सामाजिक संस्कारों के मिश्रित प्रभाव से उत्पन्न होती है।

तुलनात्मक लोकतांत्रिक विश्लेषण

तुलनात्मक दृष्टि से, अन्य लोकतांत्रिक देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई हैं। उदाहरण के लिएः

रवांडा में महिलाओं के लिए केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि सशक्तिकरण प्रशिक्षण, नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका और संस्थागत समर्थनसुनिश्चित किया गया।

स्वीडन में लैंगिक समानता सामाजिक मूल्य के रूप में स्थापित है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और निर्णय–प्रक्रिया में स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

नेपाल ने संवैधानिक ढाँचे के माध्यम से महिलाओं को निर्णय–निर्माण में वास्तविक अधिकार दिए, न कि केवल औपचारिक उपस्थिति।

भारतीय संदर्भ में यदि यही रणनीतियाँ अपनाई जाएँकृजैसे महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर्थिक स्वायत्तता, राजनीतिक नेटवर्क तक पहुँच और सामाजिक जागरूकताकृतो प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की समस्या कम करने में प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं; सामाजिक वैधता, प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता भी आवश्यक है।

भारत में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक राजनीतिक स्वायत्तता के बीच के अंतर का परिणामहै। इसका समाधान केवल अधिक महिला आरक्षण से नहीं, बल्किसंरचनात्मक, सामाजिक और संस्थागत उपायों के एक समन्वित पैकेजसे संभव है।

निष्कर्ष एवं संभावित समाधान

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक भारत में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व केवल महिला आरक्षण की सीमाओं या व्यक्तिगत अक्षमता का परिणाम नहीं है। यह समस्या एकसंरचनात्मक अंतर्विरोधका प्रतीक है, जिसमें संविधान द्वारा प्रदत्त औपचारिक राजनीतिक अधिकार और समाज–परिवार द्वारा स्वीकृत अनौपचारिक शक्ति–संरचना के बीच असंतुलन विद्यमान है।आधुनिक भारत में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व उस अंतर्विरोध का प्रतीक है जिसमें महिलाओं को संवैधानिक रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, किंतु वास्तविक निर्णय–निर्माण की स्वतंत्रता अक्सर पुरुष परिजनों या स्थानीय शक्ति समूहों के हाथों केंद्रित रहती है। यह समस्या केवल संख्या बढ़ाने से हल नहीं होती, क्योंकि इसका मूल कारण सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक पितृसत्तात्मक संरचना में निहित है। संविधान और आरक्षण ने महिलाओं को औपचारिक राजनीतिक उपस्थिति प्रदान की, परन्तु सामाजिक वैधता, आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक अनुभव की कमी के कारण उनकी वास्तविक प्रभावशीलता सीमित रह जाती है।

इस समस्या का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से संभव है। महिलाओं के लिए नियमित प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास कार्यक्रम उन्हें निर्णय–निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सशक्त बनाएंगे। आर्थिक स्वतंत्रता और संसाधनों तक पहुंच उनके राजनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। इसके साथ ही, समाज और परिवार में महिला नेतृत्व की स्वीकार्यता बढ़ाने हेतु सामाजिक जागरूकता और समुदाय–आधारित समर्थन आवश्यक है। प्रशासनिक निगरानी और महिला आयोग के माध्यम से वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सकती है, जबकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग से प्रशिक्षण और नेटवर्किंग का अवसर और प्रभाव बढ़ाया जा सकता है।

वैश्विक अनुभवों से यह स्पष्ट है कि केवल आरक्षण से नहीं, बल्किसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व के साथ संस्थागत समर्थन, प्रशिक्षण और सामाजिक स्वीकार्यताका संयोजन प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को प्रभावी रूप से कम कर सकता है। इस दृष्टि से, आधुनिक भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए नीतिगत और सामाजिक उपायों का समन्वित दृष्टिकोण ही सबसे प्रभावी समाधान है।

अतःप्रॉक्सी प्रतिनिधित्व आधुनिक लोकतंत्र की संरचनात्मक चुनौती है, जिसे केवल संख्या बढ़ाकर हल नहीं किया जा सकता।इसका समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से करना आवश्यक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत और सांस्कृतिक उपाय शामिल हों।जहाँ सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थागत प्रशिक्षण साथ–साथ चलते हैं, वहाँ महिला प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chandra, K. (2007). *Why ethnic parties succeed: Patronage and ethnic head counts in India*. Cambridge University Press.
2. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica, 72*(5), 1409–1443. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x
3. Dahlerup, D. (2006). *Women, quotas and politics*. Routledge.
4. Jayal, N. G., & Mehra, R. (2014). *The Oxford companion to politics in India*. Oxford University Press.
5. Krook, M. L. (2010). *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford University Press.
6. Kumar, R. (2003). *Women's political participation in India: A study of Panchayati Raj*. Sage Publications.
7. Norris, P., & Inglehart, R. (2003). *Rising tide: Gender equality and cultural change around the world*. Cambridge University Press.
8. Paxton, P., & Hughes, M. M. (2014). *Women, politics, and power: A global perspective*. Sage Publications.
9. Rai, S. M. (2012). *Gender and the politics of development: Women in India*. Routledge.
10. Burns, N., Schlozman, K. L., & Verba, S. (2001). *The private roots of public action: Gender, equality, and political participation*. Harvard University Press.

❑❑❑